डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर संगोष्ठी, राष्ट्र प्रथम के विचारों पर हुआ मंथन

राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था डॉ. मुखर्जी का जीवन: अरुण चतुर्वेदी

'प्रेरणा पखवाड़ा' के तहत जयपुर में आयोजित संगोष्ठी, वक्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के योगदान को किया स्मरण

जयपुर. कंचन केसरी

शांति एवं अहिंसा विभाग तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के मुख्य सभागार में ''डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व'' विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, प्रबुद्ध वक्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं विद्यार्थियों ने डॉ. मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान, वैचारिक दृष्टि तथा सार्वजनिक जीवन पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। शांति एवं अहिंसा विभाग के निदेशक अजय असवाल ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में 'प्रेरणा पखवाड़ा' आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय की स्मरणोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत यह संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति में राष्ट्र प्रथम की भावना के अनन्य उपासक, प्रख्यात शिक्षाविद् तथा अखंड भारत के सच्चे शिल्पकार थे। डॉ. मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय स्वाभिमान और देशहित के प्रश्नों पर कभी समझौता नहीं किया। उनके विचार आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को सशक्त स्वर प्रदान किया तथा भारतीय जनसंघ की

स्थापना के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन को नई वैचारिक दिशा दी। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रसेवा, संगठन क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का उत्कृष्ट उदाहरण है। विशिष्ट अतिथि हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश की संप्रभुता और जनहित के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने शिक्षा व्यवस्था में भारतीय मूल्यों, सांस्कृतिक चेतना तथा आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा जैसी स्वदेशी विधाओं के समावेश की जो आधारशिला रखी, उसी दिशा में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आयुष क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

FINANCE BAJAJ

पंजीकृत कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, मुंबई - पुणे रोड, आकुर्दी, पुणे - 411035, शाखा कार्यालयः 5वां तल, मंगलम एम्बीशन टावर, प्लॉट नंबर डी-46-बी, सुभाष मार्ग, अग्रसेन सर्किल, मालन का चौराहा, सी-स्कीम, जयपुर-302001, भारत। प्राधिकृत अधिकारी का विवरणः नामः जितेन्द्र पाटीदार ईमेल आईडीः jitendra.patidar@bajajfinserv.in मोबाइल नंबर +91 9829401520

परिशिष्ट -IV-A
(नियम 8 (6) का परंतुक देखें)
सरफासी ऐक्ट 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के तहत अचल आस्तियों की बिक्री

एतद्वारा सर्वसाधारण को तथा कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधकदाता(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित प्रतिभूति आस्ति, जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड (''बीएफएल'') के पास बंधक है, और जिसका कब्जा बीएफएल के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिया जा चुका है, नीचे वर्णित राशि और आगे लागू ब्याज, प्रभारों तथा लागत इत्यादि की वसूली के लिए नीलामी द्वारा बेची जाएगी। निम्न वर्णित प्रतिभूति आस्ति प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (''नियमावली'') के नियम संख्या 8 और 9 के तहत ''जैसी है जहां है, जैसी है और जो कुछ भी है वहां है'' के आधार पर, नीचे दिए विवरण के अनुसार बकाया राशि की वसूली के लिए बेची जा रही है:

कर्जदार का नाम व पता	1. बाल कृष्ण चित्तौड़ा (कर्जदार) 2. श्रीमती प्रभा चित्तौड़ा (सह-कर्जदार) दोनों का पता: निवासी 15 महावीर नगर 2 दुर्गापुरा, महारानी फार्म जयपुर दुर्गापुरा राजस्थान 302018 3. श्री राकेश चित्तौड़ा (सह-कर्जदार) निवासी 17 महावीर नगर 2 दुर्गापुरा, महारानी फार्म जयपुर दुर्गापुरा राजस्थान 302018
ऋण खाता संख्या	4190HL78516902, 419CSH27210092 & 419CSH27212019
धारा 13(2) के तहत सांविधिक मांग सूचना तिथि और राशि	मांग सूचना तिथि 26-09-2023 रुपए 59,77,283/-
16-02-2026 तक बकाया राशि	रुपए 84,56,715/- रुपए चौरासी लाख छप्पन हजार सात सौ पंद्रह मात्र
अचल सम्पत्ति का वर्णन	फ़्लैट नंबर जी2, भू तल, पुरेंद्र जी का बाग, मोती डूंगरी रोड, जयपुर-302004; परिमाप, बिल्ट-अप एरिया 1224 वर्ग फीट; बंधक अचल संपत्ति (सिक्योर्ड एसेट)।
सुरक्षित मूल्य भारतीय रुपए में	रुपए 60,00,000/- (रुपए साठ लाख मात्र)
ईएमडी 10%	रुपए 6,00,000/- (रुपए छः लाख मात्र)
ई-नीलामी तिथि और समय	12/08/2026 समय पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 1:00 बजे तक
ई-नीलामी पोर्टल	https://bankauctions.in
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	11/08/2026
बोली वृद्धि राशि रु. में	रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) एवं इसके गुणजों में
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	भेंट का समय पूर्व निर्धारित करके 10-07-2026 से 10-08-2026 तक कार्य दिवस को पूर्वा. 9.30 बजे से अप. 5:30 बजे तक

सर्वसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी इस सूचना में निर्धारित तिथि पर किसी भी कारण से विफल रहती है, तो प्रतिभूत लेनदार, प्रतिभूत लेनदार के विवेक के आधार पर, निजी संधि द्वारा बिक्री के माध्यम से प्रवर्तन हित लागू कर सकता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक https://bankauctions.in और https://www.bajajfinserv.in/sarfaesi-auction-notices देखें।

तिथि: 07/07/2026 — बजाज फाइनेंस लिमिटेड
स्थान: जयपुर — प्राधिकृत अधिकारी

अजमेर में बड़ी कार्रवाई

एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रही 10,434 कैफीनेटेड बेवरेज की बोतलें जब्त

जांच के लिए भेजे गए नमूने

अजमेर. कंचन केसरी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत भ्रामक तरीके से एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेची जा रही कैफीनेटेड बेवरेजेस के खिलाफ अजमेर में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 10,434 बोतलें जब्त कीं तथा विभिन्न ब्रांडों के नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के निर्देशों की पालना में 6 जुलाई 2026 को की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सबसे पहले मैसर्स मायाज एंटरप्राइजेज, सेंदरिया स्थित गोदाम पर छापेमारी की। यहां एनर्जी ड्रिंक के नाम से बेची जा रही कैम्पा कैफीनेटेड बेवरेज की विभिन्न क्षमता वाली 9,882 बोतलें जब्त की गईं। टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा नियम-2011 के तहत इन उत्पादों के तीन नमूने जांच के लिए लिए। इसके बाद टीम ने मैसर्स बजरंग टेलीकॉम, सिविल लाइंस पर कार्रवाई करते हुए प्रिडेटर एनर्जी का एक नमूना तथा मॉन्स्टर एनर्जी अल्ट्रा का एक नमूना लिया। यहां से कुल 552 बोतलें भी जब्त की गईं। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला, अजमेर भेजा जाएगा। प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित फर्मों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एफएसएसएआई द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कैफीनेटेड बेवरेजेस को 'एनर्जी ड्रिंक' के रूप में प्रचारित या बेचना भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है। ऐसे उत्पादों को एनर्जी ड्रिंक बता कर बेचना खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन माना जाता है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-53 के तहत भ्रामक उत्पाद का निर्माण, प्रचार या बिक्री दंडनीय अपराध है। इस प्रावधान के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद कुमार, दीपक कुमार, अजय मोयल, केसरी नंदन शर्मा एवं राजेंद्र शर्मा शामिल रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेशभर में ऐसे उत्पादों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुष्कर घाटी मार्ग पर दो दिन ट्रैफिक डायवर्जन, 7-8 जुलाई को इन वैकल्पिक मार्गों से गुजरेंगे वाहन

पुष्कर.का.सं। अजमेर-पुष्कर घाटी मार्ग पर लीला सेवड़ी से अनन्ता रिसोर्ट तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के चलते प्रशासन ने 7 और 8 जुलाई को दो दिनों के लिए यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया है। सड़क मरम्मत कार्य को सुरक्षित, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के उद्देश्य से इस अवधि में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उपखण्ड अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुलिस थाना पुष्कर की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। मरम्मत कार्य के दौरान संबंधित सड़क खंड पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी, जिससे दुर्घटना की आशंका को कम करते हुए निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। पुष्कर से अजमेर की ओर जाने वाले सभी वाहन लीला सेवड़ी प्रवेश द्वार से डायवर्ट किए जाएंगे। इसके बाद वाहन बूढ़ा पुष्कर रोड होते हुए पुष्कर घाटी मार्ग से अजमेर की ओर जा सकेंगे।

भवानी खेड़ा के पीएम श्री विद्यालय में वितरित की 1100 निशुल्क कॉपियां

अजमेर.का.सं

पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भवानी खेड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सहयोग का प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला। क्षेत्र के समाजसेवी कमल चंद जैन, अशोक कुमार जैन और अनिल कुमार जैन ने विद्यालय में बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को कुल 1100 निशुल्क कॉपियां वितरित कीं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका स्नेहलता यादव ने जैन बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के सहयोग से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और वे नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित होते हैं।

उदयपुर में बनेगा अनोखा आर्किटेक्ट्स टॉवर, सूर्य की रोशनी से बताएगा समय

उदयपुर. कंचन केसरी। झीलों की नगरी उदयपुर को जल्द ही एक नई स्थापत्य पहचान मिलने जा रही है। शहर में ऐसा अनूठा आर्किटेक्ट्स टॉवर बनाया जा रहा है, जिसमें स्थापित ऊर्ध्वाधर सूर्य घड़ी (वर्टिकल सन डायल) सूर्य की रोशनी के आधार पर समय बताएगी। लगभग 35 फीट ऊंचा यह टॉवर 15वीं शताब्दी के महान वास्तुकार एवं महाराणा कुंभा के प्रधान शिल्पकार मंडन की स्मृति को समर्पित होगा। इस परियोजना का उद्देश्य मेवाड़ की समृद्ध स्थापत्य विरासत को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए भारतीय वास्तु परंपरा को नई पहचान दिलाना है। यह टॉवर शोभागपुरा से विश्वविद्यालय जाने वाली 100 फीट सड़क पर विकसित किए जा रहे नए चौराहे पर बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य उदयपुर विकास प्राधिकरण के साथ हुए अनुबंध के तहत किया जा रहा है। इस अभिनव परियोजना की परिकल्पना उदयपुर के आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा ने की है।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक : न.नि.अ / 26-27 / 117 — दिनांक : 6/7/26

आपत्ति सूचना

श्रीमती सीता देवी सोनी पत्नी श्री मिट्ठू लाल सोनी निवासी गुर्जर गवाड़ी ईमली मौहल्ला घी मंडी अजमेर द्वारा एक संपत्ति ए.एम.सी. नं 12/193 पुराना 422/9 नया 12/191 का उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग हाथीभाटा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 39.50 व.मी. है। भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार हैं।

पूर्व :- रोड — पश्चिम :- भूखंड संख्या 31
उत्तर :- रोड — दक्षिण :- भूखंड संख्या 33

अतः जरिये इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के 07 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य दिवस में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कार्पोरेट कार्यालयः 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600 015
शाखा कार्यालय का पता - 16-18, कॉर्पोरेशन बैंक के ऊपर, टाऊन हॉल लिंक रोड, उदयपुर, राजस्थान-313001, 302021, ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com
संपर्क व्यक्ति विवरणः सीआरएम - 8209981164, सीएलएम - 9001168949, आरआरएम - 7891119990, आरएलएम - 9829700491

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के तहत) जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना यहां नीचे वर्णित दिनांक को जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों से सूचना में और यहां नीचे भी वर्णित बकाया राशि उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर चुकाने की मांग की गई थी। निम्नलिखित कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए कर्जदार(रों) और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा यहां नीचे वर्णित तिथि को ले लिया है:

खाता संख्या और कर्जदारों का नाम	भौतिक कब्जा तिथि और राशिः
LAN: RJ/BLW/BLWR/A000001477 & RJ/BLW/BLWR/A000003533 1. श्रीमती संजू बैरवा (कर्जदार) 2. श्री गिरधारी बैरवा (सह-कर्जदार)। मांग सूचना दिनांक और राशि: 09-10-2025 - रुपए 7,23,301/- 01-10-2025 तक सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति के सभी अंश एवं खंड: पट्टा संख्या 33, बही संख्या 2314, ग्राम कांवलिया, ग्राम पंचायत रूपाहेली खुर्द, पंचायत समिति बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान, परिमाप क्षेत्रफल 92 वर्ग गज, सीमाबद्ध: उत्तर: सूर्यवीर सिंह, दक्षिण: आम रास्ता, पूर्व: जीतू/कालू बैरवा, पश्चिम: मूला/कालू भील।	03/07/2026 रुपए 7,23,301/- 01/10/2025 तक

कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन नहीं करें और संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की उपरिवर्णित बकाया राशि और उस पर आगे ब्याज के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 07-07-2026, स्थानः राजस्थान — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी- हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली - 110025
सीआईएन: U65900DL2020PLC366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नवर्णित कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से लिया गया स्वर्ण ऋण, उनसे बार बार मांग किए जाने और सूचनाएं, जिसमें बैंक द्वारा जारी व्यक्तिगत सूचनाएं शामिल हैं, जारी किए जाने के बावजूद, समायोजित नहीं किए गए हैं। एतद्वारा सभी कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि बैंक में प्रतिभूति के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषण नीलाम करने का निर्णय किया गया है और तदनुसार नीलामी का समय पूर्वा. 11.00 बजे नियत किया गया है और नीलामी उस शाखा परिसर में की जाएगी जहां से ऋण प्राप्त किया गया था। कर्जदारों, खाता धारकों सहित सर्वजन और सर्वसाधारण इस नीलामी में नीलामी के नियम एवं शर्तों के अनुसार भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि 15-07-2026 / पूर्वा. 11.00 बजे है

क्र. सं.	शाखा	खाता संख्या	खाता धारक का नाम
1	इंदिरापुरम	101942525684	ब्रज मोहन
2	इंदिरापुरम	101942525686	ब्रज मोहन
3	इंदिरापुरम	101942525785	ब्रज मोहन
4	गाजियाबाद	101542517212	ब्रज मोहन
5	इंदिरापुरम	101942527729	सोनू गुप्ता

बैंक का, कोई पूर्व सूचना दिए बिना, नीलामी से कोई भी खाता हटाने या नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय: 27-ए, विकसित औद्योगिक एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई 600 032, तमिलनाडु, ई-मेल: auction@hindujahousingfinance.com
संपर्क विवरण: सीआरएम-8209981164, सीएलएम-9001168949, आरआरएम-7891119990, आरएलएम-9829700491

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना। अधोहस्ताक्षरी ने, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के तहत और अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की हैं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) से संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने की मांग की गई है। अधोहस्ताक्षरी का सुविवेचित आधार पर मानना है कि कर्जदार मांग सूचना(ओं) प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार मांग सूचना चस्पा करने और प्रकाशित करने द्वारा प्रदान की जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषयवस्तु का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

	एलएएन / स्वीकृत राशि / कर्जदार / सह-कर्जदार / गारंटर	मांग सूचना तिथि और राशिः
1	RJ/BLW/BLWR/A000000344 ऋण अनुबंध तिथि- 18-दिसम्बर-17, स्वीकृत राशि - रुपए 15,00,000/-, श्री मुनीर अहमद पुत्र मुश्ताक अहमद शेख (कर्जदार) श्रीमती रजिया बानो पत्नी श्री मुनीर अहमद शेख (सह-कर्जदार) श्री शरीफ अहमद शेख पुत्र मुश्ताक अहमद (गारंटर) । एनपीए दिनांक: 05/06/2026 । प्रतिभूत संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण: संपत्ति के समस्त अंश व खंड: प्लॉट नंबर 16, (1225 वर्ग फीट) शकूर कॉलोनी, वार्ड नंबर 3, आसिंद तहसील आसिंद, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत - 311301 सीमाबद्ध: पूर्व: प्लॉट नंबर 15, पश्चिम: प्लॉट नंबर 17, उत्तर: 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: कृषि भूमि।	20/06/2026 और रुपए 1259696/- 15/06/2026 तक
2	RJ/BLW/BLWR/A000002517 ऋण अनुबंध तिथि- 28-मार्च-23, स्वीकृत राशि - रुपए 7,00,000/-, श्री शम्भू लाल बैरवा पुत्र मोहन बैरवा (कर्जदार) श्रीमती काली देवी पत्नी शम्भू लाल (सह-कर्जदार) । एनपीए दिनांक: 05/06/2026 । प्रतिभूत संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण: संपत्ति के समस्त अंश व खंड: पट्टा संख्या 5 (728 वर्ग फीट) ग्राम खाचरोल, ग्राम पंचायत खाचरोल, पंचायत समिति मांडलगढ़, भीलवाड़ा, सीमाबद्ध: पूर्व: देवस्थान का स्थान, पश्चिम: आम रास्ता, उत्तर: भोजालाल/ मोहन बैरवा, दक्षिण: प्रभू लाल/ मोहन बैरवा	20/06/2026 और रुपए 710313/- 11/06/2026 तक
3	RJ/BLW/BLWR/A000003048 ऋण अनुबंध तिथि- 17-जनवरी-24, स्वीकृत राशि - रुपए 10,01,000/-, श्री सीताराम खारोल पुत्र घीसा राम (कर्जदार) श्रीमती सीता देवी पत्नी सीताराम खारोल (सह-कर्जदार) । एनपीए दिनांक: 05/06/2026 । प्रतिभूत संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण: संपत्ति के समस्त अंश व खंड: पट्टा संख्या 45 (2496 वर्ग फीट) खरोलिया खेड़ा, सालरिया, ग्राम पंचायत सालरिया कलां, पंचायत समिति बनेड़ा, भीलवाड़ा, सीमाबद्ध: पूर्व: मुकेश/रामेश्वर, पश्चिम: पप्पू/रायमल, उत्तर: खातेदारी, दक्षिण: आम रास्ता।	20/06/2026 और रुपए 1003485/- 11/06/2026 तक
4	RJ/BLW/BLWR/A000001103 ऋण अनुबंध तिथि- 19-अगस्त-20, स्वीकृत राशि - रुपए 5,12,000/-, श्रीमती गीता जाट पत्नी गोपाल जाट (कर्जदार) श्री गोपाल जाट पुत्र सुखा जाट (सह-कर्जदार) । एनपीए दिनांक: 05/06/2026 । प्रतिभूत संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण: संपत्ति के समस्त अंश व खंड: पट्टा संख्या 2 (299.15 वर्ग फीट) डोडवानिया का खेड़ा, ग्राम पंचायत रूपावाली खुर्द, पंचायत समिति बनेड़ा, भीलवाड़ा 311026, सीमाबद्ध: पूर्व: आम रास्ता, पश्चिम: आम रास्ता, उत्तर: शंकर/सुखा जाट, दक्षिण: गीता/नानू जाट	20/06/2026 और रुपए 485547/- 11/06/2026 तक

उपरोक्त कर्जदारों को सलाह दी जाती है कि वे धारा 13 (2) के तहत सूचना जारी होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर बकाया राशि चुका दें, ऐसा नहीं करने पर, धारा 13 (2) के तहत सूचना जारी होने की तिथि से 60 दिन समाप्त होने के बाद वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियमों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

दिनांकः 07-07-2026 स्थानः राजस्थान — हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी वास्ते हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी के आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक मांग सूचना निम्नवर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को जारी कर राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी। कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार 'आईआईएफएल एचएफएल'' की बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, यदि कर्जदार 'आईआईएफएल एचएफएल' की बकाया राशि वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित, बिक्री या अंतरण की नियत तिथि से पहले किसी भी समय चुकता कर देता है, तो 'आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा प्रत्याभूत आस्ति बेची या अंतरित नहीं की जाएगी तथा 'आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री या अंतरण के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

कर्जदार (रों)/ सह-कर्जदार (रों) का नाम	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया राशि (रू.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री नरेन्द्र कुमार श्री सुरेंद्र कुमार श्रीमती सरिता देवी (प्रॉस्पेक्ट नंबर 969287)	समस्त अंश व खंड: संकल्प पट्टा नंबर 3(2), ग्राम पंचायत नाथावाला, शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान, भारत 303103 परिमाप क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति प्रकार: परिमाप क्षेत्रफल; संपत्ति क्षेत्र: 1830	रुपये 3,72,903/- (रुपये तीन लाख बहत्तर हजार नौ सौ तीन मात्र)	15-04-2026	03-07-2026
श्री मथुरा लाल श्रीमती मंजू देवी मथुरा डेयरी (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10614957)	समस्त अंश व खंड: पट्टा संख्या 33, बही संख्या 348, परिमाप क्षेत्रफल 2556 वर्ग फीट, ग्राम नई खेड़ा, तहसील केकड़ी, ज़िला अजमेर, राजस्थान 305408 परिमाप क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति प्रकार: परिमाप क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्र: 2556	रुपये 2,18,227/- (रुपये दो लाख अठारह हजार दो सौ सत्ताइस मात्र)	06-01-2026	03-07-2026
श्री रमजान खान श्रीमती पिंकी रमजान खान दूध डेयरी (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10509584)	समस्त अंश व खंड: खसरा नंबर 261, ग्राम नंगली पठान, तहसील किशनगढ़ बास, जिला अलवर, राजस्थान 301027 परिमाप क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति प्रकार: परिमाप क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्र: 1218	रुपये 3,06,469/- (रुपये तीन लाख छह हजार चार सौ उनहत्तर मात्र)	09-04-2026	03-07-2026

अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी से **शाखा कार्यालय** पर सम्पर्क करें: एंबिशन टावर, प्लॉट नंबर डी-46-बी, ऑफिस नंबर 307 से 312, मालन का चौराहा, अग्रसेन सर्कल, सुभाष मार्ग, जयपुर - 302001 अथवा **कार्पोरेट कार्यालय:** प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरूग्राम, हरियाणा।

स्थान : जयपुर — दिनांक : 07-07-2026 — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा सूचना

जबकि, **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को **मांग सूचना (एं)** जारी की थीं, जिनमें कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नामों के सामने वर्णित बकाया राशि का भुगतान उन पर, भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक, लागू दरों पर ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागतों, प्रभारों इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से **60 दिन** के भीतर करने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	ऋण संख्या	कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर/बंधकदाता का नाम	13(2) सूचना तिथि/ तक बकाया राशि (रुपए में)	तिथि/समय एवं कब्जा का प्रकार
1	45909430002455	1) श्री रमेश कसाना पुत्र रामशरण गुर्जर (आवेदक), 2) श्री दाताराम गुर्जर पुत्र राम शरण गुर्जर (सह-आवेदक), 3) श्रीमती कृष्णा पत्नी रमेश कसाना (सह-आवेदक), 4) श्रीमती सुमन देवी पत्नी दाताराम गुर्जर (सह-आवेदक), 5) श्री लोकेश पुत्र विजेन्द्र सिंह (गारंटर)	13.04.2026 रुपये 43,87,456/- (रुपये तियालीस लाख सत्यासी हजार चार सौ छप्पन मात्र) 09-04-2026 तक	तिथि: 02.07.2026 समय: अप. 02:44 बजे सांकेतिक कब्जा

__अनुसूची-II: सुरक्षित संपत्तियों का विवरण - बंधक अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्ति:__ समस्त अंश व खंड अचल संपत्ति आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 37, बही संख्या 004, ग्राम लाखोड़ा, चतरपुरा, ग्राम पंचायत चतरपुरा, पंचायत समिति बानसूर, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर, राजस्थान। परिमाप 236.48 वर्ग गज। **श्री रमेश कसाना पुत्र रामशरण गुर्जर व दाताराम गुर्जर पुत्र रामशरण गुर्जर द्वारा स्वाधिकृत, सीमाबद्ध: पूर्व:** स्वयं की खुली भूमि, **पश्चिम:** स्वयं का 8 फीट का रास्ता और चबूतरा, **उत्तर:** आम रास्ता, **दक्षिण:** आम दीवार, फूल चंद और रमेश, दाताराम।

जबकि यहां ऊपर वर्णित कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा यहां ऊपर वर्णित कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का **कब्जा** उपरिवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है। कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से उपरिवर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** प्रभाराधीन होगा।

स्थान: राजस्थान — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
तिथि: 06-07-2026 — वास्ते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

__पंजीकृत कार्यालय:__ दि फेयरवे, भू तल एवं प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क से सटा, चाल्लाघट्टा, बेंगलुरू-560071 __शाखा कार्यालय:__ 101, 102, प्रथम मंजिल, गुमान टॉवर, वैशाली नगर, नैशनल हैंडलूम के पास, जयपुर-302021, राजस्थान।

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्वतः एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी ऐंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059

मांग सूचना

जबकि यहां नीचे वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों ने **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड** से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, कर्जदारों/बंधकदाताओं ने ब्याज और मूलधन का प्रतिभुगतान, देय तिथि के अनुसार, करने में अनेक चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त खाता **एसबीएफसी** की बहियों में यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों को अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो **एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''सरफासी ऐक्ट'') के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों को जारी की गई मांग सूचनाओं का परिणाम था, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों/बंधकदाताओं से सूचनाओं में वर्णित बकाया राशि का भुगतान, भुगतान की तिथि तक, सूचना में वर्णित संविदात्मक दर पर आगे ब्याज तथा अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। उनको, उनके अंतिम ज्ञात पतों पर भेजी गई सूचनाएं अ-वितरित के रूप में वापस प्राप्त की जा चुकी हैं और इसलिए उनको, उस बारे में, एतद्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/पता	मांग सूचना एवं एनपीए की तिथि	ऋण संख्या और बकाया राशि	प्रत्याभूत आस्तियों का सम्पत्ति पता
1	1. शिव कुमार (आवेदक) 2. निशा (सह-आवेदक 1) पताः वार्ड संख्या 03, मंड्रेला झुंझुनू, मंड्रेला, राजस्थान-333025 और दूसरा पताः 1 ए, शिव कुमार (आवेदक), खसरा नंबर 1473/1077, कस्बा मंड्रेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राज.), परिमाप 308.33 वर्ग गज, पिनकोड-333025	मांग सूचना की तिथि: 23 जून 2026 एनपीए तिथि: 05 अप्रेल 2026	ऋण खाता संख्या 4021060000329280 (PR01368720) & 0000006387(PR01425001), ऋण राशि रुपए 2000000/- (रुपये बीस लाख मात्र) सुविधा अनुबंध संख्या 4021060000329280 (PR01368720) के तहत, रुपए 1730000/- और सुविधा अनुबंध संख्या 0000006387(PR01425001) के तहत रुपए 270000, कुल बकाया राशि: रुपए 2143895/- (रुपये इक्कीस लाख तियालीस हजार आठ सौ पिच्यानवे मात्र) 16 जून, 2026 तक, साथ ही 17 जून, 2026 से जोड़ा नहीं गया ब्याज।	संपत्ति के समस्त अंश एवं खंडः संपत्ति प्लॉट खसरा नंबर 1473/1077, कस्बा मंड्रेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राज.), परिमाप 308.33 वर्ग गज, पिनकोड-333025 **सीमाबद्ध: पूर्व:** सुरेश पुत्र विनोद कुमार स्वामी, **पश्चिम:** हाजी अब्दुल अजीज खान पुत्र हाजी यूसुफ खान, **उत्तर:** रास्ता, **दक्षिण:** शीशराम बेरवाल

उपरोक्तानुसार परिस्थितियों में, एतद्वारा उपरोक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर उपरिवर्णित बकाया राशि का भुगतान भावी ब्याज और लागू प्रभारों सहित करने हेतु सूचना दी जाती है, जिसमें असफल रहने पर इस सूचना की तिथि के पश्चात 60 दिन की अवधि समाप्त होने पर प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में आगे कदम उठाए जाएंगे, जिनमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) और उनके तहत लागू नियमों के अनुसार कर्जदारों तथा बंधकदाताओं की प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, कोई भी कर्जदार, प्रत्याभूत क्रेडिटर की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस सूचना में संदर्भित उसकी कोई भी प्रतिभूत आस्ति बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकता है।

तिथिः 07-07-2026 — स्थानः झुंझुनूं/राजस्थान — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) **कार्पोरेट कार्यालय:** प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरूग्राम-122015 (हरियाणा) तथा **शाखा कार्यालय: प्रथम मंजिल, श्री नाथ स्कवॉयर, जम्बो रेस्टोरेंट के ऊपर, कमल रेस्टोरेंट के सामने, चित्तौड़गढ़ रोड, भीलवाड़ा-311001** के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) के तहत। जबकि आईआईएफएल - एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'') ने निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नवर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल - एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए ''जैसी है जहां है, जैसी है जो है तथा कोई वापसी नहीं आधार'' पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट: **www.iiflonehome.com** पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

कर्जदार/ सह-कर्जदार/ गारंटर	मांग सूचना तिथि और राशि	अचल सम्पत्ति/ प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	सांकेतिक कब्जा की तिथि	सुरक्षित मूल्य
श्री मुबारिक श्रीमती रेशमा खातून मुबारिक (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10621282)	29/07/2025 रुपए 1004887/-(रुपए दस लाख चार हजार आठ सौ सत्यासी मात्र) बोली वृद्धि राशि रुपए 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंडः भूमि का भाग पट्टा संख्या 31, बही संख्या 07, संकल्प संख्या 02, ग्राम पंचायत कांदा, पंचायत समिति सुवाना, भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत, 311011, परिमाप क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति प्रकार: भूमि क्षेत्र, बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया, संपत्ति क्षेत्र: 754.00, 754.00, 640.00	30/06/2026 05/06/2026 तक कुल बकाया राशि रुपए 1137966.38/- (रूपए ग्यारह लाख सैंतीस हजार नौ सौ छियासठ व अड़तीस पैसे मात्र)	रुपए 1138000/- (रूपए ग्यारह लाख अड़तीस हजार मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रुपए 113800/- (रूपए एक लाख तेरह हजार आठ सौ मात्र)

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
07-अगस्त-2026 1100 बजे-1400 बजे	10-अगस्त-2026 अपराह्न 5 बजे तक	12-अगस्त-2026 1100 बजे-1300 बजे

भुगतान की विधिः ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। भुगतान करने के लिए आप https://www.iiflonehome.com पर जाएं और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करें। नोटः हर सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए एक अलग भुगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं।
शेष भुगतान के लिए-लॉगिन करें https://www.iiflonehome.com › मेरी बोली › शेष राशि का भुगतान करें।

नियम और शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com के पास पर्याप्त अग्रिम में पंजीकृत करवाना होगा तथा लॉगइन खाता, लॉगइन आईडी और पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना ''निविदा फार्म'' ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपरिवर्णित शाखा कार्यालय में जमा/प्रेषित करना होगा।
2. बोलीदाता अपनी ऑफर कालम ''बोली वृद्धि राशि'' में वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिड आने पर समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर और बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा और भुगतान निर्धारित विधि से करने होंगे।
4. खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागू स्टाम्प ड्यूटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसे कि म्युनिसिपल कर, बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुषंगी लागतें, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे।
5. खरीदार को बिक्री राशि के लेनदेन/भुगतान के लिए टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल को टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने की सलाह दी जाती है।
7. विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ई-मेल आईडी: care@iiflonehome.com, सपोर्ट हेल्प लाइन नंबर: @ 1800 2672 499 से सम्पर्क कर सकते हैं।
8. किसी सम्पत्ति विवरण, सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिड इत्यादि के संबंध में पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 09.30 बजे से 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई-मेल: care@iiflonehome.com को मेल लिखें।
9. एतद्वारा उपरोक्त कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि भौतिक कब्जा लेते समय प्रतिभूत आस्ति में रखी घरेलू वस्तुएं 7 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा आईआईएफएल एचएफएल परिस्थितियों के अधीन सम्पत्ति की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
10. एतद्वारा कर्जदारों को आगे सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त करने में चूक की स्थिति में उनको विधि सम्मत ढंग से बेचा जाएगा।
11. सफल बोलीदाता/नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी।
12. एओ के पास बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी स्थगित/निरस्त करने या नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। निविदा/नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों का बिक्री नोटिस

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरिवर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों के साथ निविदा/नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

स्थान: भीलवाड़ा तिथि: 07-07-2026 — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड